संख्या–4सं / वि.2–14 / 2013(खण्ड)–......

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–

विषय : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन "बिहार संग्रहालय समिति" के गठन एवं बिहार सोसायटी निबन्धन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत निबंधन की स्वीकृति के संबंध में।

जवाहर लाल नेहरू पथ (बेलीरोड) के दक्षिणी भाग में अवस्थित आवास संख्या 02 से 07 तक की भूमि का उपयोग करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप 'बिहार संग्रहालय' के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संग्रहालय को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

भारतीय इतिहास की बहु–आयामी छवि को मूर्त्त करने के उद्देश्य से पुरवशेषों, प्राचीन कलाकृतियों एवं प्रदर्शों को यथोचित परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित करने के साथ ही, 'बिहार संग्रहालय में अनेक प्रतिकृतियों, मॉडल्स, छायाचित्र, रेखांकन एवं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक दृश्य–श्रव्य उपकरणों के माध्यम से एक विशेष वातावरण की सृष्टि करने का प्रस्ताव है।

पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 'बिहार संग्रहालय' का संचालन एवं प्रबंधन हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन "बिहार संग्रहालय समिति" नामक स्वायत्त संस्थान का गठन किया जाता है।

2. उक्त संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य एवं दायित्व होगें :

2.1 बिहार संग्रहालय, पटना का उसकी सभी अस्तियों एवं दायित्वों के साथ प्रशासन और प्रबंधन ग्रहण करना और संग्रहालय को स्थापित करना तथा उसका रख–रखाव करना;

2.2 संग्रहालय–विकास के क्षेत्र में अध्ययन और शोध कार्य आयोजित करना, उसकी जिम्मेवारी लेना, उसका संचालन करना, उसे बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

2.3 कला–वस्तु अर्जित करना, अनुरक्षण और परिरक्षण करना;

2.4 संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत और विदेश में इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई संस्थाओं / संगठनों के साथ सहयोग करना;

2.5 संग्रहालय के विकास से सहानुभूति रखनेवालों के लिए भारत और विदेश में व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करना और देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत से नई पीढी को अवगत कराना;

2.6 संग्रहालय दुकान, कैफे और जीवंत कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहक क्रियाकलापों सहित ऐसी सभी गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना जबतक कि वे सांस्कृतिक गतिविधियों के दायरे के अन्दर हों और जो संग्रहालय की सभी अथवा किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए संयोगवश आवश्यक अथवा सहायक हों;

2.7 संग्रहालय में अध्ययनों एवं शोध के परिणामों को अन्तर्विष्ट करते हुए पुस्तकों, संदर्शिकाओं, पत्रिकाओं एवं पत्रों के प्रकाशन की जिम्मवारी लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना;

2.8 भारत और विदेश में विभिन्न स्थलों पर संग्रहालय के संग्रहों की प्रदर्शनी के लिए सहयोग करना;

2.9 संग्रहालय विज्ञान और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;

2.10 कला–वस्तुओं के संरक्षण एवं परिरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;

2.11 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा अन्य सामुदायिक केन्द्रों में कला एवं संस्कृति के कार्यों को करने के लिए दृश्य–श्रव्य सामग्री एवं अन्य मुद्रित वस्तुओं के साथ एक चलंत इकाई स्थापित करना;

2.12 संपत्ति अर्जित करना और धारण करना; परन्तु अचल संपत्ति को अर्जित करने की दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;

2.13 निर्माण करना अथवा समिति से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा धारित किसी भूमि, उद्यान और अन्य किसी अचल संपत्ति को अन्यथा अर्जित करना, अभिन्यास करना, मरम्मत करना, बढ़ाना, परिवर्तित करना, बड़ा करना, सुधार करना और उपयोग करना;

2.14 संग्रहालयों की योजना और संगठन में विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संग्रहालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों अथवा अन्य निकायों को सहायता प्रदान करना;

(२)

2.15 समिति के प्रयोजनार्थ सरकार से अथवा किसी व्यक्ति अथवा संगठनों से अनुदान, चंदा, दान, उपहार, वसीयत, उपकृति, चल एवं अचल दोनों संपत्ति के अंतरण को प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना;

2.16 निम्नलिखित निधि संधारित करना:

2.16.1 राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सभी धन;

2.16.2 अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरण के माध्यम से समिति द्वारा प्राप्त सभी धन; और

2.16.3 समिति द्वारा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

2.17 समिति द्वारा उपगत व्यय के लिए, जिसमें समिति के गठन और किसी पूर्वोक्त उद्देश्यों में से जिसमें सभी किराया, दर, कर, आगम एवं कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं, किसी के प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित सभी व्ययों सहित समय–समय पर समिति द्वारा उपगत व्ययों का समिति की निधि से अथवा इस निधि को किसी विशिष्ट भाग से भुगतान करना।

3. "बिहार संग्रहालय समिति" के मुख्य संरक्षक एवं संरक्षक क्रमशः मुख्यमंत्री, बिहार एवं मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार होगें।

4. "बिहार संग्रहालय समिति" के शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

4.1 शासी निकाय

| | | |
|---|---|---|
| 1) | विकास आयुक्त, बिहार | अध्यक्ष |
| 2) | प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य सचिव |
| 3) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4) | प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, पटना | सदस्य |
| 5) | प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन बिहार, पटना | सदस्य |
| 6) | प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 7) | प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 8) | प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 9) | प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 10) | प्रमंडलीय आयुक्त, पटना | सदस्य |
| 11) | निदेशक, बिहार संग्रहालय, पटना | सदस्य |

4.2 कार्यकारिणी समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1) | प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| 2) | संयुक्त सचिव/उप सचिव संग्रहालय प्रभारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 3) | निदेशक, संग्रहालय, बिहार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना)। | सदस्य |
| 4) | निदेशक, पुरातत्व, बिहार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना)। | सदस्य |
| 5) | निदेशक, बिहार संग्रहालय, पटना | सदस्य सचिव |

5. "बिहार संग्रहालय समिति" का उप–नियम (बाई–लॉज) एवं स्मृति–पत्र (मेमोरन्डम ऑफ एसोसिएशन) तैयार कर बिहार सोसायटी निबन्धन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत विधिवत रूप से इसका निबंधन कराया जायेगा।

6. "बिहार संग्रहालय के सम्यक संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित प्रारम्भिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा "बिहार संग्रहालय समिति" को सहायक अनुदान दिया जायेगा।

(1)

समिति अपने नियमावली के अनुरूप राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निधि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी। प्राप्त निधि के उपयोग हेतु नियमावली में प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित किया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 335 पटना, दिनांक– 10/06/13

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय, मुद्रणालय, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना को (सी.डी. सहित) सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित करते हुए, इसकी 200 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।